फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

इन्द्र सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर...45...../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.7.18	अभिभाषक अपीलांट श्री करण सिंह तंवर उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करना चाहते है। पत्रावली पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13–07–2018 को पेश हो।	
13.7.18	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के धरण व कब्जा काश्त में चक 11 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 17/9 के किला न म्बर 4 ता 7 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 178/17 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 178/25 के किला नम्बर 1, 2 में 2 बीघा, कुल 11 बीघा तथा चक 10 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 177/16 के किला नम्बर 13, 14, 18 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 177/39 के किला नम्बर 4 व 6 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 177/47 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 में 4 बीघा कुल 9 बीघा इस प्रकार कुल 20 बीघा भूमि चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलांटान के पिता आदि के सामलाती खसरा नम्बर 118 व 128 मिस बंदोबस्त तथा उपनिवेशन खसरा नम्बर 304 में बनी है। अपीलांट वादगत् भूमि पर ढाणी बनाकर परिवार सहित आबाद है। उन्होनें आगे बताया कि खसरा नम्बर 118 व 128 की कुल 156 बीघा भूमि थी जिस में उदेसिंह, दीपसिंह व सुखसिंह का नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 304 की 156 की बीघा भूमि में भी यही नाम अंकित है। अपीलांट द्वारा दोनों ही दस्तावेज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई कि मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का दूसरा कारण अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाना अंकित किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त क भूमि रही है ऐसी स्थिति में अन्य वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मात्र अन्य वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने के कारण अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है जो कानूनन गलत है। अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

दौराने अपील यदि अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया या भूमि की किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि 11 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 17/9 के किला न म्बर 4 ता 7 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 178/17 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 178/25 के किला नम्बर 1, 2 में 2 बीघा, कुल 11 बीघा तथा चक 10 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 177/16 के किला नम्बर 13, 14, 18 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 177/39 के किला नम्बर 4 व 6 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 177/47 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 में 4 बीघा कुल 9 बीघा इस प्रकार कुल 20 बीघा के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखी जावे तथा प्रार्थीगण को वादगत् भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि को स्वयं की धारित भूमि तथा कब्जे काश्त की भूमि बताकर अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् अन्य वारिसान आदि को पक्षकार बनाये जाने से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा इस आधार पर खारिज की गई है कि वादगत् भूमि अकेले सुखसिंह के नाम दर्ज नहीं होकर अन्य वारिसान उदेसिंह, दीपसिंह, दुलेसिंह आदि को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार संवत् 2008 की मिसल बन्दोबस्त मे सभी का नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा यह माना है कि वादगत् भूमि इन्हीं खसरा नम्बरान् से बनी है तथा उस पर मात्र अपीलांट/प्रार्थी का ही अधिकार है इस बाबत् किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक तरफ तो वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादगत् भूमि संवत् 2008 की मिसल बन्दोबस्त में भूमि अकेले सुखसिंह के नाम दर्ज नहीं होकर उदेसिंह, दीपसिंह, दुलेसिंह , सुखसिंह पिसरान् बालसिंह के नाम दर्ज होना बताया जा रहा है, दूसरी तरफ अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अन्य वारिसान को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे साबित है कि अपीलांट/प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए है। लिहाजा अपीलांट अकेले के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि से यदि अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपूरणीय क्षति कारित हागी। इस संबंध में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वादगत् भूमि से उन्हें बेदखल किये जाने की कोई कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा रही हो, या भूमि की किस्म परिवर्तन, बेचान या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई कायवाही की जा रही हो। केवल मात्र अपीलांट/प्रार्थी के मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट की इस दलील को साबित नहीं माना जा सकता।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा धारा 212 आरटीए के तहत पारित किसी भी आदेश की अपील धारा 225 आरटीए के तहत पोषणीय अपील हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है तथा दोनों पक्षों अर्थात तहसीलदार जोकि भूमि धारक होता है को सुनने के पश्चात् ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित मानी गई है।

प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को अपीलांट साबित करने में असफल रहे है। अतः इस स्तर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई हेतु आईंदा तारीख पेशी दिनांक 19–07–2018 नियत है अतः अपीलांट/प्रार्थी नियत दिनांक को उपस्थिति होकर अपना मत व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

जहॉ तक अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्य वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है चूंकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में अन्य वारिसान को पक्षकार बनाया जा चुका है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अन्य वादगत् भूमि से हितबद्व अन्य वारिसान को पक्षकार बनाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद जाती व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सहायक अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner